



लिलियन एम. लोवरी, Ed.D

राज्य स्कूल अधीक्षक

रॉल्फ ग्राफवॉल्नर

सहायक राज्य अधीक्षक

डिविज़न ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवेलपमेन्ट (शुरुआती बचपन विकास संभाग)

- ऑफिस ऑफ चाइल्ड केयर

प्रिय :

इस संचार का उद्देश्य है आपका निरंतर बनाए रखने की आवश्यकताएं याद दिलाना। जहाँ आपके निरंतर की समयावधि कभी समाप्त नहीं होती है, आपको हर दो वर्षों में ऑफिस ऑफ चाइल्ड केयर को अपडेट के उद्देश्यों से कुछ जानकारी प्रदान करनी होगी। यह जानकारी आपकी प्रतिवार्षिक तिथि के दिन या उससे पहले देय होती है, जो कि एक दो वर्षीय चक्र में गिनी जाती है। आपका प्रतिवार्षिक माह और दिन आपके निरंतर के टिप्पणियाँ संभाग में नोट किया जाता है। माह और दिन हमेशा आपकी प्रतिवार्षिक तिथि रहेंगे, और बस हर दो वर्षों में वर्ष बदलता रहेगा।

आपको अपनी प्रतिवार्षिक तिथि के दिन या उससे पहले जो जानकारी मेरे अवधान के लिए जमा करानी होगी उसकी एक सूची यहाँ संलग्न है। संलग्न सूची पर सही का निशान लगे हुए बॉक्स आपकी फैसिलिटी से संबंधित हैं। संसाधन के लिए पर्याप्त समय लेने देने के लिए, हम इस बात के लिए बहुत आभारी होंगे, अगर आप पूरे किए हुए दस्तावेज़ हमारे कार्यालय पर डाक द्वारा भेज पाएं या फिर उन्हें हमारे कार्यालय तक स्वयं इस तिथि से पूर्व पहुँचा दें ।

यदि आप अपना निरंतर जारी रखना नहीं चाहते हैं तो कृपया मुझे यथाशीघ्र सूचित करें। यदि प्रक्रिया के बारे में या फिर किसी भी आवश्यक जानकारी को प्रदान करने के बारे में आपको कोई प्रश्न हों, तो कृपया मुझे बताएं। आप मुझसे फोन द्वारा पर या ईमेल द्वारा पर संपर्क कर सकते/सकती हैं। इस महत्वपूर्ण मामले में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

भवदीय,

लाइसेंसिंग विशेषज्ञ

संलग्नक:

जाँच सूची

लागू होने वाले फॉर्म

MarylandPublicSchools.org

**जानकारी के 24 माह के प्रस्तुतिकरण के लिए जाँचसूची
निरंतर चाइल्ड केयर सेंटर लाइसेंस के रखरखाव के लिए, अनुपालन के पत्र
फैमिली चाइल्ड केयर पंजीकरण और बड़ी फैमिली चाइल्ड केयर पंजीकरण**

चाइल्ड केयर, अनुपालन के पत्र (लेटर ऑफ कम्प्लायंस LOC) और फैमिली चाइल्ड केयर विनियमों के अनुसार, आपकी अगली प्रतिवार्षिक तिथि पर या उससे पहले निम्नलिखित जानकारी आवश्यक है ताकि आपकी अवधि समाप्त न होने वाली स्थिति को बनाए रखा जा सके। **सही का निशान बनाए हुए बॉक्स के पास की जानकारी आपकी फैसिलिटी से संबंधित है।**

चाइल्ड केयर सेंटर एवं अनुपालन का पत्र (LOC) संबंधी विनियमों के अनुसार (1) हर 24- माह की अवधि के अंत तक संचालक कार्यालय को एक हस्ताक्षरित और नोटरी की हुई अनुमति (OCC फॉर्म 1260) उपलब्ध कराएगा ताकि बच्चों और वयस्कों से दुर्व्यवहार और उनके प्रति लापरवाही संबंधी रिकॉर्ड की जाँच इनके बारे में की जा सके:

- a. निदेशक,
- b. प्रत्येक कर्मचारी
- c. चाइल्ड केयर फैसिलिटी के मकान में रहने वाले 18 वर्ष या अधिक आयु के प्रत्येक वयस्क
- d. यदि लागू हो तो - आवेदनकर्ता, ट्रस्टी, मैनेजर और बोर्ड के सदस्य, जो देखभाल किये जा रहे बच्चों से बार-बार संपर्क में आते हों, (यदि संचालक कोई कॉर्पोरेशन, एजेन्सी, असोसिएशन या अन्य व्यापारी इकाई हो)

(2) कानून या विनियम के अनुसार आवश्यक कोई भी अन्य दस्तावेजीकरण:

- a. वर्तमान आग संबंधी निरीक्षण का साक्ष्य
- b. अन्य:

फैमिली और बड़ी फैमिली चाइल्ड केयर विनियमों के अनुसार हर 24 माह की अवधि के अंत तक संचालक कार्यालय को (1) प्रदाता, प्रत्येक कर्मचारी (केवल बड़ी फैमिली), बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी जिन पर हो उस प्रत्येक निवासी, और यदि लागू होता हो, तो अतिरिक्त वयस्क के चिकित्सा संबंधी मूल्यांकन (OCC फॉर्म 1204) प्रदान करेगा; (2) नोटरी किए हुए जानकारी प्रकट करने के फॉर्म (OCC फॉर्म 1260) जो कार्यालय को इनके लिए बाल दुर्व्यवहार और बच्चों और वयस्कों के प्रति लापरवाही की जाँच करने देता है:

- a. प्रदाता
- b. प्रत्येक कर्मचारी (केवल बड़ी फैमिली होम)
- c. प्रत्येक प्रदाता की बदली का व्यक्ति
- d. होम में रहने वाला हर निवासी जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो
- e. यदि लागू होता हो, तो अतिरिक्त वयस्क और अतिरिक्त वयस्क की बदली का व्यक्ति
- f. कोई भी अन्य व्यक्ति जिसको संचालन के स्वीकृत घंटों में केयर में रहने वाले बच्चों को नियमित पहुँच प्राप्त हो

(3) कानून या विनियम के अनुसार आवश्यक कोई भी अन्य दस्तावेजीकरण:

- a. वर्तमान आग संबंधी निरीक्षण का साक्ष्य
- b. अन्य:

फॉर्म संलग्न हैं और साथ ही ऑनलाइन यहाँ पर भी उपलब्ध हैं:

www.marylandpublicschools.org/MSDE/divisions/child_care/licensing_branch/forms

सभी दस्तावेज़ डाक द्वारा इन्हें भेजें:

लाइसेंसिंग विशेषज्ञ:

ऑफिस ऑफ चाइल्ड केयर प्रदेश#

डाक पता:

शहर:

राज्य:

ज़िप कोड:

OCC 674 – 8-1-2014 को संसोधित OCC 670 और OCC 671 (भरे जाने वाले संस्करण) का स्थान लेता है।